

अतिमहत्वपूर्ण / स्पीड-पोस्ट

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०,  
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : C - 15 66 / बा०वि०परि० / निर्माण / 2016-17 दिनांक : ०५ अक्टूबर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय : विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में।

निदेशालय पत्र संख्या : सी०-1452 / बा०वि०परि० / निर्माण / 2016-17 दिनांक 16 सितम्बर 2016 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा आपको विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु केन्द्रवार सुस्पष्ट प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (एम०एस०एक्सल) में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक आप द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु केन्द्रवार सुस्पष्ट प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (एम०एस०एक्सल) में दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

संलग्नक : निर्धारित प्रारूप।



(आनन्द कुमार सिंह)  
निदेशक

पुष्ठांकन : \_\_\_\_\_ / तददिनांक।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

1  
(आनन्द कुमार सिंह)  
निदेशक

आंगनवाड़ी केन्द्र के अपग्रेडेशन हेतु माग का संशोधित प्रारूप

जनपद का नाम : .....

क्रम सं०	परियोजना का नाम	विभागीय भवन में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम जहाँ पर अपग्रेडेशन कराया जाना है	विभागीय भवन के निर्माण का वर्ष	प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रु. 1.00 लाख की सीमा तक अतिरिक्त कक्ष/अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक धनराशि	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
	कुल योग				

जिला कार्यक्रम अधिकारी के  
हस्ताक्षर/नाम/पद नाम, दिनांक सहित